

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय,

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 1095 / एफ-7-88 / 31 / एस-2 / 2023,
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 05/03/2024


मुख्य अभियंता,
हसदेव कछार,
जल संसाधन विभाग,
बिलासपुर (छ.ग.)
विषय :- बिलासपुर जिले के विकासखण्ड-बिल्हा अंतर्गत खारंग वृहद परियोजना के रखरखाव, विस्तृत नहर प्रणाली के मिट्टी का कार्य एवं उपकरण तथा सामग्री परिवहन हेतु आवश्यक वाहन एवं भारी संयंत्र वाहन प्रदाय स्थापना कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।
संदर्भ :- प्र.अ.का पत्र क्र.-2523/बो.प्र./A.A./TS/ह.क./2023/5306, दिनांक 13.06.2023.

—00—


- राज्य शासन एतद् द्वारा बिलासपुर जिले के विकासखण्ड-बिल्हा अंतर्गत खारंग वृहद परियोजना के रखरखाव, विस्तृत नहर प्रणाली के मिट्टी का कार्य एवं उपकरण तथा सामग्री परिवहन हेतु आवश्यक वाहन एवं भारी संयंत्र वाहन प्रदाय स्थापना कार्य हेतु राशि रु. 948.76 लाख (रूपये नौ करोड़ अड़तालीस लाख छिहत्तर हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।
- राज्य के विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण, रखरखाव में मिट्टी कार्य से संबंधित विभिन्न उपकरण, सामग्री परिवहन एवं आवश्यक भारी संयंत्र वाहन का क्रय किया जाना प्रस्तावित है।
 - कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
 - छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
 - योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-23, लेखाशीर्ष-4700-वृहद सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, [10]-खारंग जलाशय, {800}-अन्य व्यय, 0101-राज्य आयोजना (सामान्य), (2884)-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य #26-वृहद निर्माण कार्य, 005-बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
 - वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्रमांक-193, सी.एन.-31-00660/बजट-2/वित्त/चार/2024 दिनांक 27.02.2024 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
 - योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
 - निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
 - संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


05/03/24
(प्रकाश चंद्र)

अवर सचिव


छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
 3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
 7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
 8. कलेक्टर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)।
 9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
 10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
 11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
 12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
 13. अधीक्षण अभियंता, वि./यां. जल संसाधन मंडल, सकरी, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
 14. कार्यपालन अभियंता, वि./यां. भारी संयंत्र संभाग सकरी, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. आदेश फोल्डर।


05/03/24
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
जिला संसाधन विभाग
39/2/24